

Original Article

बड़वानी जिले के कृषि ऋण वितरण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भूमिका

डॉ. फूलचन्द डावर

अतिथि विद्वान, अर्थशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय, टोंकखुर्द, जिला— देवास

Email: pcdawar@gmail.com

Manuscript ID:

JRD -2026-180112

ISSN: 2230-9578

Volume 18

Issue 1(A)

Pp. 55-60

January - 2026

Submitted: 16 Dec. 2025

Revised: 26 Dec. 2025

Accepted: 11 Jan. 2026

Published: 31 Jan. 2026

सारांश

कृषि वित्त में व्यापारिक बैंकों एवं सहकारी साख संस्थाओं के प्रयासों की पूरक संस्था रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की आवश्यकता एक लम्बे समय से महसूस की जा रही थी, क्योंकि कृषि वित्त में संस्थागत संस्थाएं साख कम उपलब्ध कराना या उनकी शाखाएं अपर्याप्त थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्र में कमजोर वर्गों, लघु एवं सीमांत कृषकों, भूमिहीन कृषि श्रमिकों, दस्तकारों एवं लघु उद्यमियों को उचित समय में आवश्यकतानुसार ऋण उपलब्ध कराकर ग्रामीण विकास में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। कृषकों को परंपरागत ऋण व्यवस्था से मुक्ति दिलाने के सरकार ने प्रथम प्रयास सहकारी बैंक के माध्यम से द्वितीय प्रयास 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण से और तृतीय प्रयास में भारत सरकार ने 26 सितम्बर 1975 को अध्यादेश द्वारा देश भर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने की घोषणा की। में अपने स्थापना काल से ही कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में ऋण प्रवाह में सराहनीय कार्य किया है। इन बैंकों ने कृषि क्षेत्र को जो अकल्पनीय, मध्यम एवं दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया है।

प्रमुख शब्द— कृषि ऋण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कृषि विकास

प्रस्तावना

प्राचीनकाल में कृषि व्यवसाय के लिए पूंजी की आवश्यकता कम थी क्योंकि उस समय कृषक कृषि को व्यवसाय रूप में न लेकर जीविकोपार्जन के रूप में अपनाने के साथ ही कृषि में उत्पादन के लिए आवश्यक उत्पादन साधन कृषक बाहर से क्रय नहीं करते थे। इसी समय किसानों को ऋण देने का काम साहूकारों, सूदखोरों तथा महाजनों तक सीमित था और उनसे ऋण लेने वाला हर किसान ऋणग्रस्तता हो जाता है। वर्तमान समय में यह व्यवस्था काफी बदल गयी है। सरकार तथा बैंकों के हस्तक्षेप से आज ग्रामीण बैंकिंग का परिदृश्य बदल गया है। इसी बातों को ध्यान में रखकर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना भारत सरकार राज्य सरकारों और व्यापारिक बैंकों के संयुक्त प्रयास से हुई है। जहां भी संस्थागत कृषि साख की व्यवस्था अपर्याप्त है। लेकिन कृषि विकास की संभावनाएं काफी हैं। वहां क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले जाते हैं। इनकी विशेष जिम्मेदारी है कि ये समाज के कमजोर वर्गों (जैसे छोटे व सीमांत किसान, खेतिहर मजदूर, दस्तकार इत्यादि) को वित्त प्रदान करें।

सरकार का लगातार यह प्रयास रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में साख के प्रवाह में वृद्धि की जाये इसके लिए सरकार ग्रामीण साख के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह महसूस किया गया है कि वाणिज्य बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास हेतु कई कार्यक्रम चलाये जाने के बाद भी एक बड़ा भाग संगठित वाणिज्य बैंकों की सुविधाओं से वंचित रहा है एवं उसके नियंत्रण में नहीं आ सका है। और ऋण प्रबंधन पर्यवेक्षण एवं वसूली के मामलों में सहकारी ऋण व्यवस्था कमजोर साबित हो रही थी तथा पुनर्वित्त सुविधा के भारतीय रिजर्व बैंक पर निर्भरता बढ़ गयी थी।

ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व सीमांत किसानों कम लागत एवं सस्ती ब्याज पर ऋण की अधिक आवश्यकता को देखते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की आवश्यकता महसूस की गई। जिसके पास पर्याप्त मात्रा में वित्तीय साधन हो, यह ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए अपना कार्य सरलता से संचालित कर सकें। भारतीय कृषकों के लिए एक कहावत है :- भारत देश गांवों का देश है। गांवों में रहने वाले भोले भाले किसान रहते हैं। उन किसानों को सूदखारों ने अपने जाल में फंसा लेते हैं और उंची ब्याज दर ऋण देकर किसानों को ऋणग्रस्तता बना देता है।



Quick Response Code:



Website:

<https://jrdvrb.org/>



Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)

This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) Public License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work noncommercially, as long as appropriate credit is given and the new creations are licensed under the identical terms.

Address for correspondence:

डॉ. फूलचन्द डावर, अतिथि विद्वान, अर्थशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय, टोंकखुर्द, जिला- देवास

How to cite this article:

डावर, . फूलचन्द . (2026). बड़वानी जिले के कृषि ऋण वितरण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भूमिका. Journal of Research & Development, 18(1(A)), 55–60. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18608767>

साहित्य समीक्षा

मिश्र, एस. के. एवं पी. के. पुरी (2012) “भारतीय अर्थव्यवस्था” से अपने अध्ययन में बताया है कि काफी लम्बे समय तक व्यापारिक बैंकों का ग्रामीण साख में हिस्सा बहुत कम था। उदाहरण के लिये कुल ऋण में व्यापारिक बैंकों का हिस्सा 1950–51 में 0.9 प्रतिशत तथा 1961–62 में 0.7 प्रतिशत था। इसके कई कारण थे एक तो यह है कि भारत में कृषि मुख्य रूप से जीवन निर्वाह का एक साधन मात्र रही है और दूसरे इसका स्वरूप असंगठित व वैयक्तिक है। इसके अलावा कृषि अधिकतर मानसून पर आधारित है। इसके लिये इसके उत्पादन में अनियमितता और उतार-चढ़ाव होते रहते हैं। इस बात स्पष्ट होता है कि ग्रामीण ऋण प्रदान करने में बैंकों ने राष्ट्रीयकरण के बाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे किसानों को कृषि आगत खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। नई कृषि युक्ति को बढ़ते हुए पैमाने पर अपनाने का अवसर मिला है तथा कृषि निवेश को बढ़ाया जा सका है। एक अध्ययन के अनुसार भारत में बैंकों की शाखाओं के तेज प्रसार के उर्वरकों की मांग में लगभग 23 प्रतिशत ट्रेक्टरों के निवेश स्तर में 13 प्रतिशत सिंचाई पम्पों के निवेश में 41 प्रतिशत दुधारू पशुओं में 46 प्रतिशत तथा भारवाही पशुओं में लगभग 38 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

गौरव, दत्त एवं अश्विनी, महाजन (2012) “भारतीय अर्थव्यवस्था” नामक पुस्तक में अध्ययन में पाया गया है कि कृषि उत्पादन की बिगड़ती हुई समस्या और साहूकारों और महाजनों के लालची रवैये को देखते हुए सरकार ने सहकारी समितियों और भूमि बन्धक बैंक स्थापित किए। सहकारी समितियों से बहुत अधिक प्रत्याशाएँ थीं। क्योंकि सहकारी उधार आंदोलन का नेतृत्व स्वयं किसानों के हाथ में था। 1950–51 में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि सहकारी समितियाँ किसानों की कुल ऋण संबंधी आवश्यकताओं का केवल 3.3 प्रतिशत उपलब्ध कराती हैं। जबकि साहूकार 93 प्रतिशत ऋण मुहैया कराते हैं। अखिल भारतीय ऋण सर्वेक्षण समिति 1954 ने उल्लेख किया है कि सहकारिता विफल हो गई परन्तु सहकारिता को सफल बनाना ही होगा। अखिल भारतीय ग्राम ऋण सर्वेक्षण समिति 1969 ने ही बहु-एजेंसी प्रणाली द्वारा ग्राम-क्षेत्र को वित्त उपलब्ध कराने की सिफारिश की थी। पहली बार सरकार ने यह स्वीकार किया कि ग्राम-ऋण केवल सहकारी समितियों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है और वाणिज्य बैंकों को भी ग्राम-क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य भाग निभाना होगा। अन्य वित्तीय सेवाओं के जरिये उन्हें उत्पादक कार्यों में संलग्न होने, जीविकापार्जन करने, बचत करने एवं अपने जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए उन्हें पर्याप्त अवसर दिये जाने चाहिए।

हरिनारायण विश्वकर्मा (नवम्बर 2014) “कुरुक्षेत्र” कृषि वित्त प्रबंधन में निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि भारत में स्वतंत्रता के समय किसानों को ऋण उपलब्धि के गैर-संस्थागत स्रोतों जिनमें साहूकार एवं महाजन व्यापारी एवं कमीशन एजेंट, मित्र एवं रिश्तेदारों आदि पर निर्भर रहना पड़ता था जो कि उन्हें ऊँची ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराते थे जिसके परिणामस्वरूप किसान हमेशा कर्ज के बोझ के नीचे दबा रहता था। उस समय ऋण के संस्थागत स्रोतों का हिस्सा बहुत ही कम था। लेकिन आज स्थिति ठीक विपरीत हो गई है, किसानों के लिए ऋण प्राप्ति के संस्थागत स्रोतों में काफी तेजी आई है, और किसानों के लिए कृषिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्तीय प्रबंध में लगभग 80 प्रतिशत भाग संस्थागत स्रोतों का है जिनके द्वारा आसानी से किसानों को कम ब्याज दर पर अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (2015) “कुरुक्षेत्र” ग्रामीण विकास बजट 2015–16 – इस बजट में घाटे की खेती को पटरी पर लाने के लिए कई अहम उपायों की घोषणा की गई है। लागत घटा कर उपज बढ़ाने वाली खेती को प्रोत्साहन दिया जायेगा। और उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार राज्यों के साथ मिलकर राष्ट्रीय कृषि बाजार स्थापित करेगी। खेती के लिए मिट्टी की सेहत परखने और फसलों की सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता को आम बजट में खास प्राथमिकता दी गई है। हर खेत को पानी पहुँचाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 5300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य

1. जिले में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा कृषि ऋण वितरण का अध्ययन करना।
2. जिले में बैंक द्वारा वितरण ऋणों से कृषकों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।

शोध अध्ययन का क्षेत्र

शोध कार्य में अध्ययन क्षेत्र का चयन शोध कार्य की सुव्यवस्थित तरीके से प्रारंभ के पूर्व यह आवश्यक है कि शोध कार्य के अध्ययन का क्षेत्र निर्धारित कर लिया गया। ताकि शोध कार्य के परिणाम गलत न निकले और समय श्रम एवं धन के दुरुपयोग की सम्भावना नहीं होती है। परिकल्पना की जांच करने के लिए अध्ययन क्षेत्र का चयन महत्वपूर्ण चरण है। जिसमें क्षेत्र से सम्बन्धित तथ्य एवं समक की सत्यता की जांच निर्भर करती है, शोध अध्ययन का क्षेत्र जिला बड़वानी का चयन कर शोध विषय “कृषि ऋण वितरण में जिला बड़वानी के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भूमिका” का अध्ययन किया गया है।

शोध परिकल्पना

1. बैंक के माध्यम से कृषकों को कृषि ऋण आवश्यकतानुसार मिला है।
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कृषि ऋण वितरण से कृषकों की आय में वृद्धि हुई है।

तालिका क्रमांक-1

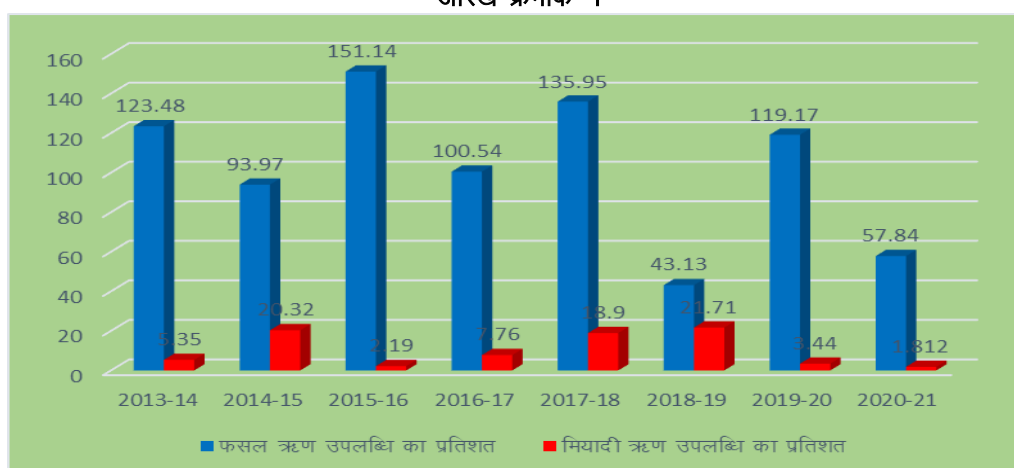
जिले में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा प्रदत्त कृषि ऋण (फसल ऋण एवं मियादी ऋण)

वर्ष	फसल ऋण			मियादी ऋण		
	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत
2013-14	8392.49	4088.93	123.48	1822.43	97.58	5.35
2014-15	5738.32	5392.76	93.97	2975.18	604.69	20.32
2015-16	6297.60	9518.41	151.14	3356.78	73.67	2.19
2016-17	7459.23	7500.00	100.54	3869.00	300.26	7.76
2017-18	8126.93	11049.00	135.95	5005.21	946.40	18.90
2018-19	9157.85	3950.00	43.13	5273.27	1144.99	21.71
2019-20	9158.00	10914.00	119.17	3342.00	115.00	3.44
2020-21	10312.00	5966.00	57.84	3803.00	69.00	1.812

स्रोत :- जिला अग्रणी बैंक वार्षिक साख योजना।

संभाव्यतायुक्त ऋण योजना 2021-22

आरेख क्रमांक-1



उपर्युक्त तालिका व आरेख क्रमांक 1 से स्पष्ट होता है कि जिले में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा वितरण ऋण फसल एवं मियादी ऋण वर्ष 2013-14 में फसल ऋण लक्ष्य से अधिक ऋण किसानों को वितरित किया जो 123.48 प्रतिशत रहा और मियादी ऋण लक्ष्य से बहुत कम किसानों को ऋण वितरित किया जो 4.86 प्रतिशत ही रहा है। उसी तरह वर्ष 2014-15 में फसल ऋण लक्ष्य से कम 93.97 प्रतिशत रहा और मियादी ऋण 15.32 प्रतिशत वितरित किया गया। वर्ष 2017-18 में फसल ऋण का वितरण लक्ष्य से अधिक 135.95 परंतु मियादी ऋण लक्ष्य से कम 39.93 प्रतिशत तक रहा है। ओर वर्ष 2018-19 में फसल ऋण का वितरण लक्ष्य से कम 43.13 ओर मियादी ऋण लक्ष्य से कम परन्तु पिछले वर्ष की तुलना में अधिक 21.71 प्रतिशत तक रहा है। वर्ष 2019-20 में फसल ऋण का वितरण लक्ष्य से अधिक 119.17 ओर मियादी ऋण लक्ष्य से कम 3.44 प्रतिशत तक रहा है। वर्ष 2020-21 में फसल ऋण का वितरण लक्ष्य से कम 57.84 ओर मियादी ऋण लक्ष्य से कम 1.81 प्रतिशत तक रहा है।

इससे स्पष्ट होता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से कृषकों ने फसल ऋण वितरण में उतार चढ़ाव देखने को मिला है, कभी लक्ष्य से अधिक तो कभी लक्ष्य से कम वितरण किया गया है, और मियादी बहुत कम लिया क्योंकि मियादी ऋण की ब्याज दर अधिक होने के कारण कृषक मियादी ऋण कम लेना पसंद करते हैं, फिर भी मियादी ऋण वितरण में वृद्धि हुई है।

शोध प्रविधि

शोध प्रविधि में समकों के संकलन का कार्य प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से किया गया है, प्राथमिक समंक संकलन के लिए निदर्शन विधि के देव निदर्शन विधि द्वारा कृषक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से ऋण लिया गया जिनकी सूची बैंक से निकाल कर साक्षात्कार अनुसूची तैयार कर सम्पूर्ण जिले में 150 कृषकों से कृषि ऋण संबंधित प्रश्न पूछे गए थे द्वितीय समंक के लिए जिले की जिला सांख्यिकी पुस्तिकायें, जिला अग्रणी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया से वार्षिक प्रतिवेदन, कृषि ऋण से सम्बन्धित योजना, कुरुक्षेत्र, बैंकिंग चिंतन-अनुचितन, संभाव्यतायुक्त ऋण योजना, के माध्यम से शोध सामग्री प्राप्त की गई हैं।

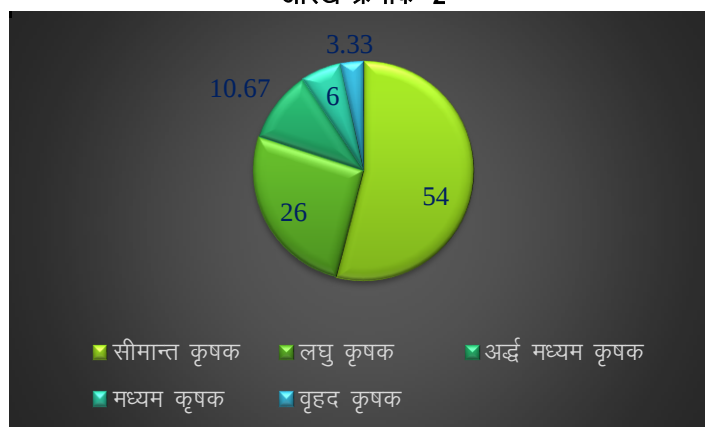
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऋण प्राप्त कृषकों का अध्ययन

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से कृषकों द्वारा लिया गया ऋण का हमने जिले में सर्वेक्षण के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया है कि किसानों की आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक एवं कृषि ऋण लेने के बाद कृषि उत्पादन के वृद्धि, वार्षिक आय में वृद्धि और बैंक से ऋण प्राप्त करते समय आने वाली समस्या का अध्ययन किया है।

तालिका क्रमांक 2 कृषक का जोत का आकार एवं प्रकार

क्र.	जोत का प्रकार	जोत का आकार (हे. में)	उत्तरदाता	प्रतिशत
1.	सीमान्त कृषक	0-1	81	54
2.	लघु कृषक	1-2	39	26
3.	अर्द्ध मध्यम कृषक	2-4	16	10.67
4.	मध्यम कृषक	4-10	09	6
5.	वृहद कृषक	10 से अधिक	05	3.33
	योग		150	

आरेख क्रमांक-2

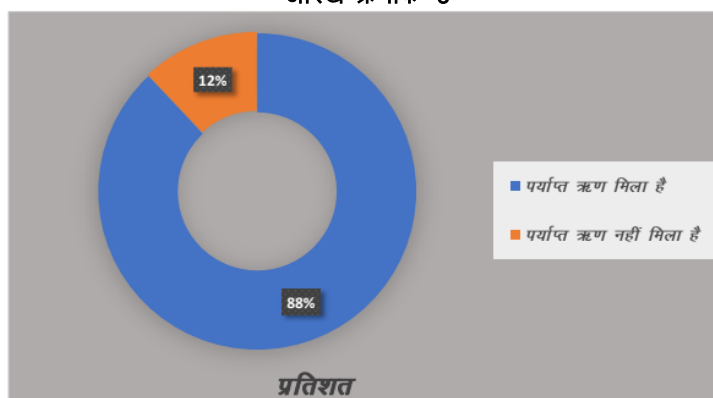


उपर्युक्त तालिका क्रमांक 2 एवं आरेख क्रमांक 2 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से प्राप्त किसानों के जोत का आकार एवं प्रकार का अध्ययन किया गया है, जिसमें सीमांत किसान 54 प्रतिशत जो कि जिले में सबसे अधिक सर्वे में पाये गये हैं और लघु किसान 26 प्रतिशत, अर्द्धमध्यम किसान 10.67 प्रतिशत, मध्यम किसान 6 प्रतिशत और वृहद किसान 3.33 प्रतिशत पाये गये हैं। जिले में वृहद किसानों की संख्या सबसे कम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से ऋण लिया है।

तालिका क्रमांक 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से कृषकों को प्राप्त कृषि ऋण का स्तर

क्र.	प्राप्त कृषि ऋण का स्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	पर्याप्त ऋण मिला है	132	88
2.	पर्याप्त ऋण नहीं मिला है	18	12
	योग	150	100

आरेख क्रमांक-3



उपर्युक्त तालिका व आरेख क्रमांक 3 से स्पष्ट है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से किसानों को पर्याप्त ऋण का अध्ययन किया गया है जिसमें 88 प्रतिशत किसानों को बैंक से पर्याप्त ऋण मिला है और 12 प्रतिशत ऐसे किसान हैं जिनको बैंक से पर्याप्त ऋण नहीं मिला है। पर्याप्त ऋण नहीं मिलने का कारण किसानों के पास जोत का आकार छोटा होना, भूमि की उर्वराशक्ति में कमी, ऋण अदायगी क्षमता का कमजोर होना है।

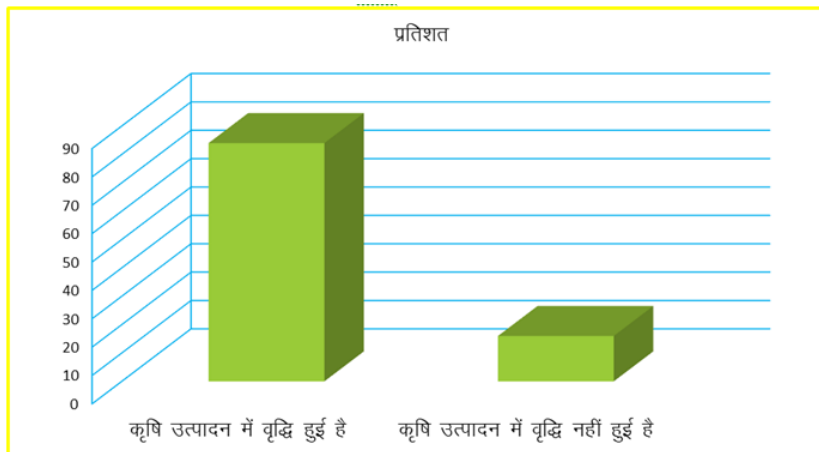
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से ऋण लेने के पश्चात् कृषि उत्पादन में वृद्धि

तालिका क्रमांक 4

कृषि ऋण लेने के पश्चात् कृषि उत्पादन में वृद्धि की स्थिति

क्र.	पर्याप्त कृषि ऋण का स्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है	126	84
2.	कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है	24	16
	योग	150	100

आरेख क्रमांक-4



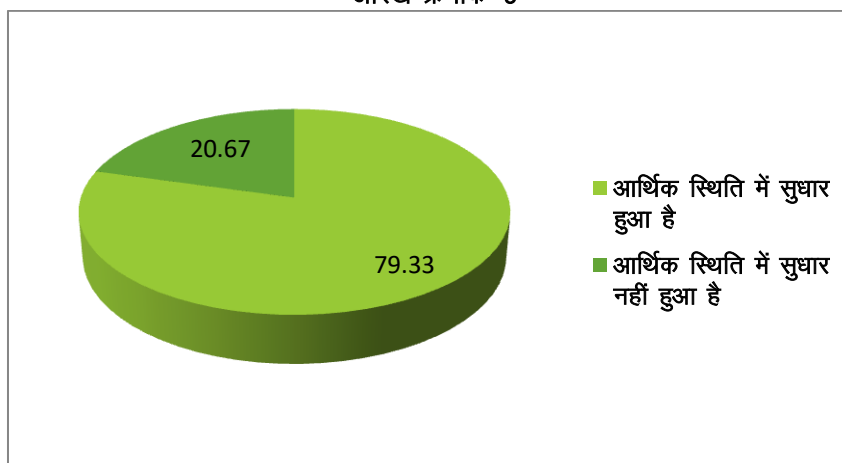
उपर्युक्त तालिका व आरेख क्रमांक 4 से स्पष्ट है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से ऋण लेने के बाद कृषि उत्पादन का अध्ययन किया है। हमारे सर्वेक्षण में 84 प्रतिशत किसानों की कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है जबकि 16 प्रतिशत के किसानों की कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है। क्योंकि यह किसान कृषि ऋण को गैर कृषि कार्य में व्यय पर्याप्त ऋण न मिलना, खेत की उर्वरा शक्ति कम होना है। अतः सर्वे के माध्यम से यह ज्ञात हुआ है कि बैंक से ऋण लेने के बाद कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से ऋण लेने के बाद किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार की स्थिति

तालिका क्रमांक 5

बैंक से ऋण लेने के बाद आर्थिक स्थिति में सुधार की स्थिति

क्र.	आर्थिक स्थिति में सुधार का स्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है	119	79.33
2.	आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है	31	20.67
	योग	150	100

आरेख क्रमांक-5



उपर्युक्त तालिका व आरेख क्रमांक 5 से स्पष्ट होता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से ऋण लेने के बाद किसानों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया है। इसमें सर्वेक्षण में 79.33 प्रतिशत किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और 20.67 प्रतिशत किसान बैंक से ऋण लेने के भी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। इसका कारण इन किसानों के द्वारा कृषि ऋण भी

आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। इसका कारण इन किसानों के द्वारा कृषि ऋण लेने के बाद ऋण को उद्देश्यानुसार कृषि उत्पादन में ऋण नहीं लगाया और पूराने ऋण को चुकाने में प्रयोग करना, पर्याप्त ऋण नहीं मिलने से उत्पादन कम होना है।

परिकल्पना

1. बैंक के माध्यम से कृषकों को कृषि ऋण आवश्यकतानुसार मिला है।

उपर्युक्त परिकल्पना परीक्षण के लिए अनुसूची साक्षात्कार के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा प्राप्त ऋण किसानों का सर्वेक्षण किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आया कि 88 प्रतिशत किसानों ने यह स्वीकार किया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा आवश्यकतानुसार ऋण दिया है। अब उनको कृषि ऋण में ऋण की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। अतः स्पष्ट होता है कि किसानों के अपनी ऋण आवश्यकता की पूर्ति के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पर निर्भर है।

परिकल्पना

2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कृषि ऋण वितरण से कृषकों की आय में वृद्धि हुई है।

उपर्युक्त परिकल्पना परीक्षण के लिए अनुसूची साक्षात्कार के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से ऋण प्राप्त किसानों का सर्वेक्षण किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आया कि 79.33 प्रतिशत किसानों ने यह स्वीकार किया है कि बैंक से ऋण लेने के पश्चात् कृषि उत्पादन बढ़ा है जिससे कि कृषकों की वार्षिक आय में वृद्धि हुई है।

समस्या

1. किसानों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के माध्यम से पर्याप्त ऋण नहीं मिलता है, किसानों के अनुसार जितना ऋण उपलब्ध कराया जाता है वह कृषि कार्य के लिए कम पड़ता है।
2. बैंक कृषि ऋण की स्वीकृति के लिए अधिक समय लगाना, जिससे किसानों को कृषि कार्य करने में समस्या आती है।
3. किसानों को ऋण लेते समय अनियमितताओं का सामना करना पड़ता है। बैंक ऋण वितरण करते समय अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा किसानों से अनावश्यक रूप से आर्थिक लाभ मांगते हैं।
4. वर्तमान समय में राजनैतिक क्षेत्र हावी हो रहा है जिसके कारण किसानों के साथ पक्षपात किया जाता है जिसका परिणाम यह होता है कि जो किसान ऋण के पात्र होते हुए भी अपात्र कर देते हैं।

सुझाव

1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसानों को जोत का आकार के आधार पर ऋण दिया जाना चाहिए तथा ऋण राशि की मात्रा में वृद्धि की जानी चाहिए।
2. बैंक को कृषि ऋण की स्वीकृति के लिए कम से कम समय लगाना होगा ताकि किसानों को सही समय में कृषि कार्य कर सकें।
3. बैंक किसानों को ऋण देते समय जो अनियमितता पायी जाती है, उसे समाप्त करना चाहिए और किसानों को ऋण वितरण प्रक्रिया को ओर अधिक सरल एवं सुविधाजनक बनाना होगा।
4. वर्तमान समय में राजनैतिक क्षेत्र बैंक में हस्तक्षेप होना चाहिए। परंतु आवश्यक बाधाएँ नहीं होना चाहिए। ताकि पात्र किसानों को ऋण आसानी से मिल सकें और बैंक की क्रियाकलापों को नियमित रूप से संचालित किया जाये।

निष्कर्ष

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा कृषि ऋण किसानों को आसानी से उपलब्ध कराया जा रहा है, परन्तु बैंक से कृषि ऋण लेने में किसान अपनी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक फसल ऋण एवं निवेश कृषि ऋण के कार्य हेतु किसानों को वित्तीय पोषित करता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा प्रतिवर्ष कृषि ऋण में वृद्धि हो रही और बैंक वर्ष 2013-14 में फसल ऋण का लक्ष्य से अधिक 123.48 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की है उसी तरह मियादी ऋण लक्ष्य से कम 5.35 प्रतिशत उपलब्धि रही है। बैंक फसल ऋण वर्ष 2017-18 में भी लक्ष्य से अधिक 135.95 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की और मियादी ऋण लगातार उपलब्धि में वृद्धि की गई जो वर्ष 2017-18 में मियादी ऋण उपलब्धि 18.90 प्रतिशत तक वृद्धि किया है। साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से सर्वे में अधिकांश किसानों ने यह माना कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आवश्यकतानुसार कृषि ऋण उपलब्ध कराया है जिससे किसानों के कृषि उत्पादन बढ़ा है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृषि ऋण महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

संदर्भग्रंथ सूची

1. मिश्र एवं पूरी, भारतीय अर्थव्यवस्था (2012) हिमालिया पब्लिकेशन हाउस।
2. दत्त एवं सुंदरम भारतीय अर्थव्यवस्था (2012) एस. चंद एण्ड कम्पनी लि.
3. मिश्र, एस. के. एवं पी. के., पुरी (2012), भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस।
4. गौरव, दत्त एवं अश्विनी, महाजन (2012), 'भारतीय अर्थव्यवस्था, एस. चन्द एण्ड कम्पनी लि. रामनगर, नई दिल्ली।
5. विश्वकर्मा, हरिनारायण :कुरुक्षेत्र, (2014), किसानों को ऋण प्राप्ति के संस्थागत स्रोत, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली,
6. डॉ. जैन, एस.सी एवं डॉ. माहेश्वरी, पी.डी. कृषि अर्थशास्त्र (2014) कैलाश पुस्तक भवन भोपाल।
7. डॉ. मिश्र, जय प्रकाश, कृषि अर्थशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन।
8. कुरुक्षेत्र, नवम्बर 2009
9. कुरुक्षेत्र, नवम्बर 2014
10. बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन, अक्टूबर-दिसम्बर, 2010
11. वार्षिक प्रतिवेदन : जिला अग्रणी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बड़वानी।